ISSN: 2454-1907
DOI: https://doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i2.2018.674

IJETMR
International Journal of Engineering Technologies and Management Research
A Knowledge Repository

लघु औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता को रोकने के शासकीय प्रयास

डॉ नीरज केशरवानी [*1]
[*1] सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, गोविंदराम सेकसरिया अर्थ–वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

शोध सारांष:
भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला लघु उद्योग क्षेत्र विगत कई वर्षो से औद्योगिक रूग्णता का शिकार है। लघु उद्योग क्षेत्र में बड़ती हुई रूग्णता की स्थिति ने आज देश के नीतिनिर्धारकों योजनाओं, नेताओं, उद्यमियों बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को इसके उपचार के लिए आवश्यक कार्य योजना एवं नीतियाँ निर्धारित करने के लिए मजबूर कर दिया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक रूग्णता के निवारणार्थ बनाये गये कार्यक्रमों को अपनाने के लिए देश के प्रत्येक बैंक एवं वित्तीय संख्याओं को बाध्य किया जाए तथा इसके लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए तभी इन प्रयासों की सार्थकता सिद्ध होगी। और लघु औद्योगिक इकाइयाँ रूग्णता से मुक्त हो पायेगी।

प्रमुख शब्द: *औद्योगिक रूग्णता, सरकारी प्रयास तथा म.प्र.शासन की नीति।*

Cite This Article: डॉ नीरज केशरवानी. (2018). "लघु औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता को रोकने के शासकीय प्रयास." *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 5(2), 84-91. DOI: https://doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i2.2018.674.

1. प्रस्तावना

आज लघु उद्योग क्षेत्र देश के उत्पादन, निर्यात, राजस्व आय और राजगार के सृजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह क्षेत्र देश के कुल औद्योगिक रोजगार का लगभग 88 प्रतिशत भाग उपलब्ध कराता है। यह क्षेत्र देश के लगभग 15 करोड़ मध्यम वर्गीय लोगों की आवश्यकताओ की पूर्ति करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला लघु उद्योग क्षेत्र विगत कई वर्षो से औद्योगिक रूग्णता का शिकार है। लघु उद्योग क्षेत्र में बड़ती हुई रूग्णता की स्थिति ने आज देश के नीतिनिर्धारकों योजनाओं, नेताओं, उद्यमियों बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को इसके उपचार के लिए आवश्यक कार्य योजना एवं नीतियाँ निर्धारित करने के लिए मजबूर कर दिया है।

देश में एक ओर आवश्यक विकास कार्यो के लिए वित्तीय संसाधनों का सर्वथा आभाव है। वहीं दूसरी ओर रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में देश के वित्तीय संसाधनों व बैंकों के अरबों रूपये फंसते चले जा रहे है। यह स्थिति भारत जैसे देश के लिए कदापि उचित नहीं है।

वर्ष 1980 में देश के कुल रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या 23149 थी, जिनकी संख्या दिसंबर 1988 मे बढ़कर 2,40,573 हो गयी। इसी प्रकार इन रूग्ण सइकाइयों की बैंकों में बकाया राशि जो 1980 में 306 करोड़ रूपये थी वह दिसंबर 1988 में बढ़कर 2141 करोड़ रूपये हो गयी। 31 मार्च 1996 आते –आते देश में रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का आकार और अधिक विशाल हो गया जिसकी संख्या बढ़कर 2,62,376 तथा बैंकों की बकारा राशि इन रूग्ण इकाइयों में 3721.94 करोड़ रूपये हो गयी।

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

वर्ष 1990 में देश में रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2,21,472 थी, जो दो वर्ष बाद 1993 में बढ़कर 2,38,176 हो गयी। इस प्रकार दो वर्षो में 16,704 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयाँ रूग्णावस्था को प्राप्त हुई, इसी क्रम में वर्ष 1995 में रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या बढ़कर 2,68,815 हो गयी। इस प्रकार पुनः दो वर्षो के पश्चात् 30639 और अतिरिक्त लघु औद्योगिक इकाइयाँ रूग्णावस्था को प्राप्त हुई। मार्च 1996 तक देश की कुल रूग्ण लघु इकाइयों में बैंकों का 3721.94 करोड़ रूपया बकाया के रूप मे फंस गया।

संमकों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि समय रहते लघु औद्योगिक इकाइयों में औद्योगिक रूग्णता की समस्या के निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास नही किये गए तो हमारी औद्योगिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी व आत्मनिर्भर भारतीय समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वप्न मात्र रह जाएगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं देश के प्रमुख बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों में व्याप्त औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक उपासय कर रूग्णता निवारण के प्रयास किये है।

2. औद्योगिक रूग्णता

सामान्यतः औद्योगिक इकाई की रूग्णता इसकी तरलता के क्रमशः कम होने के साथ प्रारंभ होती है। जिसका मूल कारण लगातार होने वाली नकद हानि लगातार तरलता के असंतुलन की स्थिति तथा रखरखाव के स्तर में गिरावट, विद्यमान परिसंपत्तियों के अवक्षरण की गति को तीव्र करती है। जिसके कारण इकाई का संचालन जड़ता की स्थिति में आ जाता है और इकाई को रूग्ण मान लिया जाता है। यदि लगातार यही प्रक्रिया घटित होती रहती है तो इकाईयों के बंद होने की अवस्था आ जाती है। अतः एक सफल उद्यमी को चाहिए कि वह इकाई के परिचालन की छोटी सी अव्यवस्था पर भी सूक्ष्म दृष्टि रखे अन्यथा समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। उद्यमी को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि रूग्णता को उपचार योग्य होने की दिशा में ही सुधार लिया जाए। अन्यथा तत्काल किसी सामाजिक हानि के लक्षण नजर न आने पर भी क्रमशः क्षरण महामारी का रूप धारण कर समस्त उद्योग को अपनी सीमाओं में ले सकता है।

रूग्ण इकाइयों के संबंध में सरकार की नीति

दिसंबर 1981 में केन्द्र सरकार ने रूग्ण परन्तु जीवन क्षम लघु औद्योगिक इकाइयों के पुरूत्थान बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के प्रयासों की अनुपूरक थी। यह योजना 1 जनवरी 1982 से क्रियान्वित की गई और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्पलिखित है।

1. यह योजना जिला उद्योग केन्द्र संबंधी योजना के एक भाग के रूप में होगी और रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली कुल एक मुश्त सहायता के एक अंग के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।
2. इस योजना के अंतर्गत रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को जो केन्द्रीय सहायता दी जायेगी वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मार्जित धन राशि के कुल ऋण का 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।
3. किसी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को जो मार्जित धन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। वह प्रति इकाई 1,000 रूपये के न्यनतम ऋण से लेकर 20,000 रूपये के अधिकतम ऋण के रूप मं होगी। (वर्तमान में अधिकतम सीमा 50 रू. है)
4. मार्जिन धन राशि केवल उन पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को दी जाएगी जो विगत 7 वर्षो के दौरान किसी समय स्थापित की गई हो और यह मार्जिन धन राशि के सामान्यतः उस अतिरिक्त

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

मार्जिन धन क 50 प्रतिशत नहीं हो सकती जो कि उद्यमियों को वित्तीय संस्थाओं से पुनरूत्थान कार्यक्रम के अंग के रूप में अतिरिक्त ऋण स्वीकृत कराने के लिए अपेक्षित है।

रूग्ण इकाइयों के मामलों पर राज्य की समन्वय समिति विचार करेगी। इस समिति में निम्न लिखित संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होगें।

1. राज्य स्तर के उद्योग विभाग
2. भारतीय रिजर्व बैंक
3. राज्य वित्त निगम
4. राज्य लघु उद्योग निगम,
5. राज्य के अग्रणी बैंक
6. लघु उद्योग सेवा संस्थान का निदेशक।

रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि इस समिति का संयोजक होगा।

यदि वित्तीय संस्थाएं ऐसी इकाईयों में जिनमें 1000 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो या 2 करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक राशि विनियोचित हो तो रूग्णता को नहीं रोक सके तो उनका

1. उनके उत्पादन का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए अत्याधिक महत्व का हो।
2. वह इकाई उस जन्मदात्री इकाई के रूप में कार्य कर रही हो जिसके संरक्षक में अनेक आनुषांगिक इकाइयाँ पल रही हो और
3. उसके बंद हो जाने से इतनी बेरोजगारी फैल जाने की संभावना हो कि निकट भविष्य में वैकल्पिक रोजगार या धंधा सुलभ कराना असंभव हो और
4. इकाई अभी भी जीवन–क्षम हो।

यदि राज्य सरकार ऐसी इकाई को अपने हाथ में लेने को इच्छुक हो तो औद्योगिक विकास विभाग उसके प्रबंध को अधिक से अधिक 6 महीनों के लिए अधिग्रहण करने पर विचार करेगा। और इस अवधि के अंदर राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर दिये जाने की अपेक्षा की जाएगी। संबंधित मंत्रालय इस संभावना पर विचार कर सकता है कि रूग्ण इकाइयों को क्यों न कोई निजी संगठन या तो समामेलन द्वारा अथवा खरीद करके अपने हाथ में अधिग्रहण कर ले। जहाँ यह आशंका हो कि रूग्णता को रोका नहीं जा सकता। तो बैंक को यह स्थिति तुरंत औद्योगिक विकास विभाग को बतानी चाहिए। इस विभाग से यह आशा की जाती है कि वह जानकारी मिलते ही ऐसा तुरंत संबधित मंत्रालय के पास पहुंचा देगा।

औद्योगिक रूग्णता से संबंधित म.प्र.शासन की नीति

मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु एक पॉलिसी पैकेज बनाने का निर्णय लिया है पॉलिसी के अनुसार रूग्ण औद्योगिक इकाई को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ की जाती है–

1. उर्जा विभाग विद्युत शक्ति के उत्पादन की कमी के कारण औद्योगिक इकाई को प्रदाय की जाने वाली विद्युत शक्ति में कटौती करता है। फलस्वरूप इकाई पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन मात्रा में कमी आती है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्युत विभाग रूग्ण इकाई पर सिर्फ 50 फीसदी विद्युत कटौती करेगा, संभव हुआ तो इस कटौती को भी समाप्त किया जा सकता है।

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

2. जो औद्योगिक इकाइयाँ रूग्णता के कारण बंद हो गयी है अथवा लगभग बंद होने की स्थिति में है, उनसे म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा न्यूनतम मांग प्रभार न वसूल किये जाये एवं रूग्ण इकाई पर विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये दण्डात्मक प्रभार भी माफकर दिये जाये
3. रूग्ण औद्योगिक इकाई पर राज्य शासन के विभिन्न विभागों की अदत्त राशि की वसूली के लिए गारंटी करने का आग्रह न किया जाये।
4. रूग्ण औद्योगिक इकाई को उनके पास उपलब्ध आधिक्य भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। उन्हें शहरी भूमि सीमांकन के प्रावधानों से मुक्ति प्रदान की जाये तथा आधिक्य भूमि के उपयोग में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की अनुमति दी जाये। बशर्ते की आधिक्य भूमि के यथासंभव रूग्ण इकाई के लिए बनाई गई पुर्नवास योजना के विक्रय से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि का उपयोग कार्यान्वयन में ही किया जाये। यदि इसके बाद भी कोई राशि शेष बचती है तो उसका उपयोग श्रमिकों को देय राशि की पूर्ति के लिए किया जाये। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसका उपयोग दो वर्षो की अवधि में राज्य में ही नवीन औद्योगिक इर्का स्थापित करने हेतु किया जाये, ऐसा न करने पर यह राशि शासन कोष में जमा कराई जाये।
5. भूमि आधिक्य के अलावा यह भी पता लगाया जाये कि रूग्ण इकाई के पास कोई अन्य अतिरिक्त सम्पत्तियाँ तो ही है। यदि ऐसी सम्पत्तियों का आधिक्य है तो उन्हे भी विक्रय की अनुमति प्रदान की जाए एवं प्राप्त राशि का उपयोग रूग्णता दूर करने क लिए किया जाये। शेष राशि बचने पर नवीन इकाई की स्थापना या श्रमिकों के हितों के अनुरूप व्यय करने की अनुमति दी जाए। इसके पश्चात् भी शेष राशि बचने पर राज्य शासन के कोष में जमा करायी जाये।
6. यदि वित्तीय संस्थाओं द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाई को राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण को अंश पूंजी में परिर्तन की जाने मांग की जाती है तो यह अधिक से अधिक सीमा तक किया जाये कि जिससे इकाई की कुल अंश पूंजी में राज्य शासन का हिस्सा 45 प्रतिशत से अधिक न हो। इकाई की कुल अंशपूंजी में यह भी परीक्षण किया जा सके। कि मध्यप्रदेश औद्योगिक वित्त निगम द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाई को अंश पूंजी दिये जाने पर यदि राज्य शासन और निगम दोनों की अंशपूंजी मिलाकर 51 फीसदी हुई हो या नहीं क्या ऐसी इकाई शासकीय कंपनी हो जावेगी। यदि ऐसी स्थिति में इकाई का स्वरूप शासकीय इकाई में परिवर्तित न हो तो निगम द्वारा आवश्यकतानुसार रूग्ण इकाइयों को अंशपूंजी प्रदान की जा सकती है।
7. यदि मंडल द्वारा किसी औद्योगिक इकाई की पुर्नवास योजना के लिए प्रवर्कत अंशदान सीमा 20फीसदी को घटाकर 15 फीसदी कर दिया जाता है और यह सुविधा भी दी जाती है संपत्तियों के आधिक्य के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन प्रवर्तक अंश के लिए किया जायेगा तथा एक ही प्रकार की रूग्ण इकाईयों जैसे सूती वस्त्र निर्माणियों के लिए प्रवर्तक अंशदान की राशि निर्धारित करने के लिए उन्हें संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है तो राज्य शासन द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाई को आवश्यकतानुसरा सहायता उपक्रम घोषित किया जायेगा। परिणामस्वरूप ऐसी इकाई के सहायता उपक्रम रहने की अवधि में उस पर विक्रय कर/क्रय कर/प्रवेश कर बकाया राशि की वसूली का अस्थगन हो जायेगी।
8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि रूग्ण औद्योगिक इकाई के लिए निर्मित पुनर्वास योजना का त्वरित गति से क्रियान्यन हो। सम्भागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जावे जिससे रूग्ण औद्योगिक इकाई राज्य शासन से संबंधित विभागों संबंधित अधिकोषों संबंधित वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी अधिकोषों, संबंधित वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी हो। यह समिति पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा राज्य शासन को प्रगति से अवगत करेगी।

उपर्युक्त नीति मध्यप्रदेश में स्थित मात्र ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिए उपलब्ध है जिनके संबंध मे प्रकरण औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण मंडल के समक्ष रूग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान अधिनियम

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

1985 के अंतर्गत लाया गया है इस मंडल द्वारा इन इकाइयों के पुर्नजीवन हेतु योजना तैयार की जा रही है उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा म.प्र. शासन द्वारा समय समय पर जो विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गयी है, उनका संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

1. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न वित्तीय संस्थानों को नयी कार्यशील पूंजी हेतु गारण्टी प्रदान करना।
2. राज्य शासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रशिक्षण में जो इकाइयाँ नकद हानि में चल रही पायी गई उस हानि की प्रतिपूर्ति वित्तीय संस्थाओं का ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा की जाएगी।
3. जिन रूग्ण इकाइयों के प्रकरण उच्च न्यायालय में चल रहे उनका शीघ्र निर्णय करने की कार्यवाही से संबंधित आवेदन उच्च न्यायालय में देना।
4. संबंधित रूग्ण इकाई को विगत वर्षो में आवश्यकतानुसार जो गारटी प्रदान की गयी है उस पर राज्य शासन के विरूद्ध बैंक द्वारा न्यायालय में बाद प्रस्तुत किये जाने पर शासन की गारंटी का नवीनीकरण करना।
5. राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य वस्त्र निगम को समय समय पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गयी। इस राशि से रूग्ण इकाई के श्रमिकों के युक्ति युक्तकरण एवं कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। शेष राशि से इकाई को होने वाली नकद हानि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
6. रूग्ण इकाई को सहायता उपक्रम घोषित कर तत्संबंधी अधिनियम की परिधि से बैंक एव वित्तीय संस्थाओं को दूर रखा जाएगा।
7. राज्य शासन द्वारा रूग्ण इकाइयों से संबंधित वित्तीय संस्थाओ श्रमिक संघ भारतीय स्टेट बैंक तथा पुराने निर्माणी स्वामियों से इकाई की स्वस्थता हेतु आवश्यक अनुबंध किये जा सकते है।
8. विविध परिस्थितियां को दृष्टिगत रखकर राज्य शासन द्वारा निर्माण बंद होने की स्थिति में परिसमापक द्वारा की जा रही है कार्यवाही को स्थगित कर पुनः चालू करने की आवश्यक कार्यवाही करने की योजना बनाई जा सकती है।
9. औद्योगिक इकाई को रूग्णता से बचाने तथा उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य शासन वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा एक बैच पर बैठकर निर्णय कर आधारभूत कठिनाइयों के निराकरण से संबंधित शीघ्र कार्यवाही करना।
10. राज्य शासन द्वार घोषित विभिन्न सुविधाएँ इर्का को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस संबंध में निर्णय लेगी कि कौन कौन सी सुविधाएँ इकाई के पुर्नवास के लिए आवश्यक है। समिति द्वारा जो निर्णय लिये जाएगें वह सभी विभागों पर बंधनकारी होगें। राजस्व , उर्जा, पृथक आगम एवं श्रम विभाग के प्रमुख सचिव तथा विधि और विधाई र्का, वाणिज्य एवं उद्योग वित्त, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। समिति के संयोजक वाणिज्य और उद्योग विभाग के उपसचिव होगें।
11. राज्य शासन द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को निश्चित समय के लिए आवश्यकतानुसार विक्रय कर में छूट भी प्रदान की जा सकती है ताकि इकाई को पुर्नजीवन प्रदान किया जा सके। विक्रय कर में छूट के लिए भी शासन द्वारा संबंधित इकाई से एक निर्धारित प्रपत्र में स्थिति की पूर्ण जानकारी देना आवश्यक है पिछड़े क्षेत्रों में आधुनिक उद्योग स्थापित किये जाने हेतु अनेक प्रकार की रियायतें एवं अनुदान प्रदान करें।

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

रूग्ण इकाइयों का पुनरूत्थान

रूग्ण इकाइयों के पुनरूत्थान करने का उद्देश्य उससे ऋण राशि की शीघ्र वसूली करना नहीं है वरन् उसमें पुनः वह क्षमता लाना है जिससे कि आंतरिक बचन पैदा कर सके। अन्यथा नगद ऋण लातों में भी बैंकों प्रायः अपना पैसा कभी वापस नहीं मिल पाता।

यदि इकाई के रूग्ण होने का संकेत मिले तो बैंकर को पहली कार्यवाही यह करनी चाहिए कि वह अग्रिम प्रतिभूतियों और प्रलेखों की समीक्षा करें ताकि किसी विशेष परिस्थिति के घटित होने पर उसका पैसा डूबने न पाए उसे उधारकर्ता औद्योगिक इकाई से भाल भण्डार के विवरण पत्र प्राप्त कर लेने चाहिए, जिनमें उसके मूल्यांकन का आधार बताया गया हो तथा देनदारों व लेनदारों की अवधि बताने वाली सूची और स्थिर सम्पत्तियों की सूची भी ले लेनी चाहिए माल भण्डार किस किस्म का है, कितना विक्रय योग्य है देनदारी किस सीमा तक वसूल कर सकने योग्य है। और स्थित सम्पत्तियों की दशा कैसी है, इन सभी बातों का सावधानी पूर्वक निर्धारण करना चाहिए। प्रलेखों की विधिक विशेषज्ञों से यदि आवश्यक हो तो जांच करवा लेनी चाहिए और वह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक की स्थिति इन सब पहलुओं को देखते हुए पूर्णतः निरापद है।

दूसरा कदम यह निश्चित करने के लिए उठाया जाना चाहिए कि क्या इकाई में जीवित रह सकने की संभावित क्षमता है या उसका पुनरूत्थान हो ही नहीं सकता। जीवन क्षम तथा जीवन अक्षम इकाइयों से एक दूसरे अलग छांटने के लिए गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है तो इकाइयाँ जीवित रह सकने की संभावित क्षमता रखती है, उनके मामले में अग्रसर वित्तीय या तकनीकी सहायता देने की आवश्यकता हो सकती है जबकि जीवित रह सकने की संभावित क्षमता से रहित इकाइयों के मामले में प्रतिभूति को उपयोग में लाने या विधिक कार्यवाही चालू करने की आवश्यकता पड़ जाती है।

एक बार जीवन– क्षम इकाइयों की पहचान कर ली जाए और उन्हें सहायता देने का निर्णय ले लिया जाए तो उनके पुनरूत्थान की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन उपायों को भी करना पड़ेगा।

1. रूग्ण इकाई की क्षमताएं और कमजोरियॉ जानने के लिए उसके विगत प्रचालन कार्यो का विश्लेषण करना तथा कमियों का निदान विस्तार से करना आवश्यक है। क्योंकि इकाई के पुनरूत्थान के लिए इन कमियों को दूर करना ही पड़ेगा। सही– सही निदान और उपचार के तरीकों को अपनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो व्यावसायिक विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकती है।
2. नियमित व्यवस्था हेतु पर्याप्त बचत या अधिक्तय पैदा कर सकने की दृष्टि से औद्योगिक इकाई को अपना प्रचालन किस स्तर तक रखना अनिवार्य है इसका निर्णय कर लेने के पश्चात् उधारकर्ता से कहा जाना चाहिए कि वह आगामी 6 से 12 महीनों के दौरान प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित हर अनुमानित लक्ष्यों और उन अनुमानों के आधारों का ब्यौरा, अनुमानित तुलना पत्र तथा आमदनी विवरण पत्र प्रस्तुत करें।
3. समस्याओं की जांच पड़ताल और प्रचालन कार्यो को वांछित स्तर तक पहुंचाने की संभावनाओं का पता लगाना। उधारकर्ता कठिनाइयों से उबर सके, इसके लिए बैंकर निम्नलिखित तरीकों में से कोई एक या अधिक तरीके अपना सकता है।
    1. वर्तमान समस्याओं के संबंध में उधारकर्ता से बातचीत।
    2. प्रबंध में परिवर्तनों को सुझाव या किसी अन्य व्यक्ति को कारखाना पट्टे पर देना।
    3. सूचीगत माल किस स्तर तक जाए इस संबंध में सुझाव।
    4. स्थिर सम्पत्तियों पर व्यय सीमित करना।
    5. बैंकर को भावी हानि से बचाने के लिए अतिरिक्त सम्पाशिवक प्रतिभूति लेना और
    6. अतिरिक्त धन उधार देना अर्थात पोषण करना।

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

पुनर्वास योजना के अंतर्गत ब्याज दरों तथा प्रवर्तक अंशदान के संबंध में मापदंड

1. पुननिर्धारित ऋणों की अदायगी 10 वर्ष तक किये जाने की अनुमति।
2. राहत की अवधि जिसकी गणना पुर्नवास योजना को कार्यान्वित किकये जाने की दिनांक से की जायेगी– 7 वर्ष होगी।
3. कार्यशील पूंजी– ब्याज की रियायती दर (केवल 7 वर्ष तक) प्रचलित न्यूनतम ऋण दर से 1. 5 प्रतिशत कम रखी जा सकती है।
4. **संचित ब्याज सावधि ऋण**

प्रचलित न्यूनतम ब्याज दर के 6.5 प्रतिशत कम पर ब्याजदर प्रसारित की जा सकती है अदायगी की अवधि 3 से 5 वर्ष सामान्यता रखी जा सकती है जिसे विशेष मामले में बढ़ाकर 6–7 वर्ष किया जा सकता है।

5. **कार्यशील पूंजी सावधि ऋण**

न्यूनतम दर से 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक कम ब्याज दर प्रभावित की जा सकती है। अदायगी 10 वर्ष तक की हो सकती है।

6. **वर्तमान सावधि ऋण**

जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाए वर्तमान सावधि ऋण पर ब्याज की दर अभिलेख में निर्धारित ब्याज दर से अधिक से अधिक 2 प्रतिशत तक कम की जा सकती है।

7. **नया पुनर्वास सावधि ऋण**

नये पुनर्वास सावधि ऋण पर प्रचालित न्यूनतम ऋण दरों में 1.5 प्रतिशत कम ब्याज दर प्रभावित की जा सकती है रियायती ब्याज दर की अनुमति अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए होगी।

ब्याज की दरों में सभी प्रकार की रियायतों की वार्षिक समीक्षा इकाई के कार्य निष्पादन के आधार पर की जायेगी इकाई जब तक ब्याज दर की रियायतों/राहतों का लाभ उठा रही होगी तब तक इसे लाभांश घोषित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये। यह शर्त पुनर्वास योजना की प्रसंविदा में शामिल की जानी चाहिये।

8. **प्रवर्तकों का अंशदान**

जब कोई इकाई रूग्ण हो जाती है तो इसकी पूंजी का बुरी तरह ह्रास हो जाता है अतः यह महसूस किया जाता है कि प्रवर्तकों को चाहिए कि वे पर्याप्त इक्विटी अथवा ब्याज रहित विधियाँ उपलब्ध कराये। अतः रिजर्व बैंक को परामर्श दिया कि गैर लघु औद्योगिक रूग्ण/कमजोर इकाइयों के पुर्नवास योजनाएं बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवर्तकों का अंशदान अधिकतम हो भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि जिन मामलों में प्रबंध तंत्र में व्यावसायिक तकनीकी प्रबंध का परिवर्तन किया जाना हो उनमें प्रवर्तकों के न्यूनतम 20 प्रतिशत अंशदान तथा अन्य मामलों में 30प्रतिशत अंशदान पर बल दिया जाये। जहाँ कहीं आवश्यक, बैंक और अधिक प्रवर्तक अंशदान के लिए बल दे सकते है।

3. निष्कर्ष

अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सरकार ने लघु औद्योगिक इकाईयों में औद्योगिक रूग्णता के निवारणार्थ पर्याप्त प्रयास किये है। परन्तु यह प्रयास केवल फाइलों में ही कैद है। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का विभिन्न बैंकों एवं राज्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। और न ही देश के नीति निर्धारकों, योजनाकारों तथा नेताओं के इस दिशा में कभी कोई पहल की। जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। औद्योगिक रूग्णता का आकार दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और देश के बैंकों का एक बड़ा भाग इन पर बकाया के रूप में फंसता जा रहा है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक रूग्णता के निवारणार्थ बनाये गये कार्यक्रमों को अपनाने के लिए देश के प्रत्येक बैंक एवं वित्तीय संख्याओं को बाध्य किया जाए तथा इसके लिए एक निश्चित लक्ष्य

ISSN: 2454-1907
DOI: 10.5281/zenodo.1184655

निर्धारित कर दिया जाए तभी इन प्रयासों की सार्थकता सिद्ध होगी। और लघु औद्योगिक इकाइयाँ रूग्णता से मुक्त हो पायेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के मंत्राालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2013–14
2. विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट
3. भाटिया बी.एस. एवं जी.एस. बत्रा " रूग्ण इकाइयों का प्रबंधन" दीप एवं दीप प्रकाषन नई दिल्ली 1977
4. माथुर बी सतीष, "लघु औद्योगिक क्षेत्र में रूग्णता" कन्सेप्ट प्रकाषन लिमि. नई दिल्ली 1987
5. नलिनी व्ही. दवे, " औद्योगिक रूग्णता एवं प्रबंधन के प्रमुख तत्व" दीप एवं दीप प्रकाषन नई दिल्ली 1992
6. सिन्हा एस.एल.एन " औद्योगिक रूग्णता : बैकों की भूमिका " आई.एफ.एम. चैन्नई

*Corresponding author.
E-mail address: kesharwanineeraj19@ gmail.com